उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर

पृष्ठांकन क्रमांक सी/2194 / जबलपुर, दिनांक 04 /05/2018.

प्रतिलिपिः–

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ इंदौर, इंदौर (म.प्र.)
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय म.प्र. खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.)
3. संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (प्रशासन), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
5. मेम्बर सेक्रेटरी (एस.सी.एम.एस.), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. रजिस्ट्रार (आई.टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर उच्च न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड कराने हेतु,
8. संचालक, कोष एवं लेखा, पेंशन, भोपाल, म.प्र./संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, पेंशन, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर की ओर इस निर्देश के साथ कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय तथा निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 6 के अंतर्गत आई.एफ.एम.आई.एस. साफ्टवेयर में विहित विकल्प की सुविधा तत्काल उपलब्ध कराने हेतु,
9. कोषालय अधिकारी, जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर,
10. लेखा अधिकारी, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. लेखाधिकारी (सैट), उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
13. अनु. अधि., स्थापना/बजट/लेखा/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,
14. सहायक स्थापना/पेंशन/वेतन पत्रक/वेतन निर्धारण/सेवा पुस्तिका, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर,

की ओर, मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 01–05–2018 को प्रकाशित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी–1069–चार–12–17–2017 दिनांक 27–02–2018 की प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

संलग्नः– 1. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 01–05–2018 की हिन्दी/अंग्रेजी अनुवाद की प्रतिलिपि।
2. मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 की प्रतिलिपि।

04.5.18
(सतीश चन्द्र राय)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2018—वैशाख 11, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2018

क्र. सी-1069-चार-12-17-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के खंड 2 सहपठित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 7056/दो-14-32/36 भाग-1, दिनांक 12 जुलाई 1960 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, निदेश देते हैं कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-2009-नियम-IV, दिनांक 20 जुलाई 2017 के अन्तर्गत घोषित एवं जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017, उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारी जो मध्यप्रदेश पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान में पदस्थ है, पर, वित्त विभाग की अधिसूचना के संलग्नक-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.

(1) परन्तु यह कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 6 के अन्तर्गत विहित विकल्प, उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीन माह के भीतर प्रयोग में लाया जायेगा.

(2) परन्तु यह भी कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के किसी भी उपबंध के शिथिलिकरण या प्रवर्तन के निलंबन के विषय में शासन द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारियों के प्रकरण में जैसा कि नियम 16 में उपबंधित है, माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा प्रयोग की जायेगी.

टीप.—उपरोक्त मंजूरी D. O. No. 253 /II-15-19/1944/2015, दिनांक 27 जून 2015 द्वारा प्रेषित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती और सेवा की शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारियों के संबंध में संविलयन एवं सेवा की शर्तें, सेवा नियम 2006 की प्रथम अनुसूची में वेतनमान में संशोधन हेतु प्रेषित अनुशंसा तथा समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार में लिये जा सकने वाली एवं प्रेषित की जाने वाली अनुशंसाओं के अध्यधीन है.

No. C-1069-IV-12-17/2017.—In exercise of the powers conferred by Article 229 (2) of the Constitution of India read with High Court Notification No.7056-II-14-32-36 Part-I, dated the 12th July, 1960, Hon'ble the Chief Justice, with the previous approval of the Governor, has been pleased to direct that the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 2017, promulagated under Madhya Pradesh Finance Department, Bhopal, Notification No. F. 8-I-2016/Niyam/IV, dated 20th July, 2017 and as amended from time to time, shall apply to the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal, holding posts in the existing pay scales of pay under the M.P.P.R. Rules, 2009 as specified in Annexure - I of the notification of the Finance Department shall be applicable from the 1st January, 2016:—

(1) provided that the option prescribed under Rule 6 of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules 2017, shall be exercised by the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal within three months from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette".

(2) provided further that the power exercisable by the Government in the matter of relaxation or suspension of operation of any of the provisions of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 2017 in the case of the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal, as provided in Rule 16, shall be exercised by Honourable the Chief Justice.

Note : The above approval is subject to the recommendation for amendents in the pay scales in the First Schedule of the High Court of Madhya Pradesh Officers and Employees Recruitment and Conditions of Service (Classification, Control, Appeal and Conduct) Rules, 1996 and the High Court of Madhya Pradesh (Absorption and Conditions of Services in respect of Officers and Employees of Abolished Madhya Pradesh Administrative Tribunal) Service Rules, 2006 sent *vide* D.O. No.253/II-15-19/1944/2015, dated 27-06-2015 and recommendations which may be considered and sent by the High Court from time to time.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 359] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 20 जुलाई 2017—आषाढ़ 29, शक 1939

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 20 जुलाई 2017

क्रमांकः एफ-8-1/2016/नियम/चार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 है ।

(2) ये नियम दिनांक 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त हुये समझे जायेंगे ।

2. शासकीय सेवकों के प्रवर्ग, जिनको ये नियम लागू होंगे :-

(क) इन नियमों द्वारा या इनके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम राज्य के कार्य कलाप से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को लागू होंगे, जिनके भर्ती एवं सेवा शर्तों का विनियमन करने वाले नियम बनाने के लिए राज्य सरकार सक्षम है।

(ख) ये नियम निम्नलिखित प्रवर्गों के शासकीय सेवकें को लागू नहीं होंगे :-

I. उन व्यक्तियो पर, जो पूर्णकालिक सेवा योजन मे नहीं है ;

II. उन व्यक्तियों पर, जिन्हें मासिक आधार की अपेक्षा अन्य प्रकार से भुगतान किया जाता है, उनमे वे व्यक्ति भी शामिल है, जिन्हें केवल मात्रानुपात दर पर भुगतान किया जाता है ;

III. उन व्यक्तियों पर, जो अनुबन्ध पर कार्य कर रहे हैं ;

IV. उन व्यक्तियों पर जो सेवानिवृत्ति के बाद पुनः सरकारी नौकरी मे लगाये गये हैं ;

V. उन व्यक्तियों पर जो म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1956, म.प्र. नगर पालिक निगम अधिनियम 1961 तथाम.प्र. पंचायत तथा ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के नियंत्रण में हैं ;

VI. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय चिकित्सा परिषद् और अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के वेतनमानों पर संदाय पाने वाले व्यक्ति; और

VII. न्यायालयीन सेवा के व्यक्ति

VIII. राज्य शासन के आदेश दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 द्वारा घोषित स्थायी कर्मी

IX. उन किसी अन्य वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों पर जिन्हे मध्यप्रदेश के राज्यपाल, आदेश द्वारा, सारे कार्यों से अथवा इन नियमों मे निहित प्रावधानों से विशेष रूप से निष्कासित करते हों ।

स्पष्टीकरण-खण्ड (iv) के प्रयोजन के लिए, पुनः नियोजित पेंशन भोगी के अन्तर्गत वे पुनः नियोजित पेंशन भोगी सम्मिलित नहीं होगें, जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और ऐसे सैनिक पेंशन भोगी जो प्रतिकर या अशक्त पेंशन प्राप्त करते थे और जो राज्य सरकार के नियम बनाने के नियंत्रण के अधीन पुनः नियोजित हैं और विद्यमान वेतनमान में वेतन आहरित कर रहे हैं ।

3.परिभाषायें-इन नियमों में जब तक अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(i) "विद्यमान मूल वेतन" से आशय उस वेतन से होगा जो विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित किया जाता है इसमें वेतन संरक्षण के फलस्वरूप स्वीकृत व्यक्तिगत वेतन भी सम्मिलित होगा परन्तु इनमें "विशेष वेतन", आदि जैसा किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है ;

(ii) शासकीय सेवकों के संबंध में "विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन" से आशय उस वर्तमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन से है जो शासकीय सेवक द्वारा दिनांक 01 जनवरी 2016 को स्थायी अथवा स्थानापन्न रूप से धारित पद (अथवा जैसा भी मामला हो) पर लागू हो ;

स्पष्टीकरण- किसी शासकीय सेवक के मामले में जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अवकाश पर था या जिसने उस तारीख को उच्चतर पद पर स्थानापन्न रहते हुये भी एक या एक से अधिक निचले पदों पर कार्य किया था "मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन " में किसी पद के लिए वही वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन मान्य होगा जिसे उसके द्वारा प्राप्त किया जा रहा है, परन्तु उसके मूल संवर्ग/पद पर वापिस आने पर उसे मूल संवर्ग/पद के अनुसार ही वेतन प्राप्त होगा ।

(iii) "विद्यमान परिलब्धियों" से अभिप्रेत है-
(i) वेतन बैंड में प्राप्त बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के फलस्वरूप स्वीकृत) का योग ; (ii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि, का योग ;

(iv) "प्रकल्पित परिलब्धियाँ" से आशय है बैंड वेतन एवं ग्रेड वेतन तथा व्यक्तिगत वेतन (वेतन संरक्षण के कारण यदि कोई हो) के योग का 2.57 गुना ;

(v) "वेतन मेट्रिक्स" से आशय है नियमों के साथ संलग्न अनुसूची-1 जिसमें वेतन के लेवल तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए यथा निर्दिष्ट लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं ;

(vi) वेतन मैट्रिक्स में "लेवल" से आशय है इन नियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तदनुरूपी लेवल;

(vii) "लेवल में वेतन" से आशय है अनुसूची-1 में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन ;

(viii) किसी पद के संबंध में "पुनरीक्षित वेतन संरचना" से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल से अभिप्रेत है जो कि उस पद के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के अनुरूप हो जब तक कि उस पद विशेष के लिए कोई भिन्न संशोधित लेवल अलग से अधिसूचित न किया गया हो ।

(ix) पुनरीक्षित वेतन संरचना में "मूल वेतन" से आशय है, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन ;

(x) "पुनरीक्षित परिलब्धियों" से आशय है पुनरीक्षित वेतन संरचना में किसी शासकीय सेवक के लेवल में वेतन ; और

(xi) "अनुसूची" का तात्पर्य इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है ।

4.पदों के लेवल-

संशोधित वेतन संरचना में पदों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुरूपी विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के लिए तय किये गये हों ।

5.संशोधित वेतन संरचना में वेतन का आहरण -

इन नियमों में किये गये अन्यथा उपबंध के सिवाय शासकीय सेवक उस पद जिस पद पर उसे नियुक्त किया गया है अथवा धारित कर रहा है, के लिये लागू संशोधित वेतन संरचना में तय लेवल में वेतन आहरित करेगा :

बशर्ते कि कोई शासकीय सेवक मौजूदा वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन में उसकी अगली या किसी अनुवर्ती वृद्धि की तारीख तक, अथवा वह पद रिक्त करने तक मौजूदा वेतन बेंड में वेतन प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है :

बशर्ते यह भी कि ऐसे मामलों मे जहां शासकीय सेवक को दिनांक 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच पदोन्नति, वेतनमान के स्तरोन्नयन आदि के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया है, तो वह ऐसी पदोन्नति, स्तरोन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने का विकल्प चुन सकता है ।

स्पष्टीकरण (1) इस नियम के परन्तुक के अन्तर्गत मौजूदा वेतन संरचना बहाल रखने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड एवं ग्रेड वेतन के मामले मे स्वीकार्य होगा ।

स्पष्टीकरण (2) ऊपर दिया गया विकल्प दिनांक 01 जनवरी 2016 को अथवा उसके बाद किसी पद पर नियुक्त किसी भी व्यक्ति के लिए लागू नहीं होगा चाहे वह सरकारी सेवा में पहली बार आया हो ।

स्पष्टीकरण (3) जहां कोई शासकीय सेवक मूलभूत नियम 22 या किसी अन्य नियम या पद के लिए लागू किसी अन्य नियम के अन्तर्गत वेतन नियमन के प्रयोजन के लिए नियमित आधार पर स्थानापन्न हैसियत में धारित अपने किसी पद के संबंध में इस नियम के अन्तर्गत मौजूदा वेतन संरचना को बहाल रखने का विकल्प चुनता है तो इस स्थिति में उसका वास्तविक वेतन वह मूल वेतन होगा जो मौजूदा वेतन संरचना के संबंध में धारित पद, जिस पर उसका धारणाधिकार रहता या निलंबित न किये जाने तक धारणाधिकार बना रहता या स्थानापन्न पद का वह वेतन, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा जो कि लागू होने के समय किसी भी आदेश के अनुरूप वास्तविक वेतन की तरह वह अर्जित करता । मूल संवर्ग/पद पर वापिस आने पर नियम 3 के स्पष्टीकरण के अनुसार वेतन निर्धारण किया जाएगा ।

6.विकल्प का चयन-

(1) नियम 5 के परंतुक के अन्तर्गत चयन का विकल्प लिखित रूप में उस प्रपत्र पर देना होगा जो दूसरी अनुसूची के साथ संलग्न है और यह विकल्प उपनियम (2) मे वर्णित अधिकारी के पास इस नियम के प्रकाशित होने की तारीख के 3 माह के अन्दर पहुँच जाने चाहिये अथवा जहाँ वर्तमान संरचना निर्धारित तारीख के बाद संशोधित किया जाता है तो वहां इसका संशोधित नियम की तारीख के प्रकाशन के 3 माह बाद तक पहुँचना मान्य होगा ।

बशर्ते कि-

(i) उस मामले में जब शासकीय सेवक इस नियम या आदेश के प्रकाशित होने की तारीख में छुट्टी पर या प्रतिनियुक्ति पर अथवा सक्रिय सेवा में राज्य से बाहर हो, उपर्युक्त विकल्प संबंधित अधिकारी के पास कर्मचारी के राज्य में आने और यहाँ का पदभार संभालने की तारीख के तीन माह के अन्दर लिखित रूप मे पहुँच जाए; तथा

(ii) जहां कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी, 2016 को निलंबित हो तथा उसके काम पर लौटने की तारीख इस नियम के प्रकाशित होने के बाद की हो तो वह अपने कार्य दिवस पर लौटने के तीन महीने के अन्दर लिखित विकल्प दे सकता है ।

(iii) जहां कोई शासकीय सेवक, भूतलक्षी प्रभाव से दिनांक 01 जनवरी, 2016 अथवा पूर्व से पदोन्नत होता है तो वह ऐसे आदेश के जारी होने के तीन महीने के अन्दर विकल्प दे सकेगा ।

(iv) वे शासकीय सेवक, जो 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् ओर इन नियमों के प्रकाशन के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, भी इस नियम के अधीन विकल्प का प्रयोग करने के लिए पात्र होगें ।

(2) शासकीय सेवक द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों में संलग्न फार्म में अपने कार्यालय प्रमुख को दी जायेगी ।

(3) अगर शासकीय सेवक का लिखित विकल्प उपनियम (1) के अनुसार निर्धारित तारीख के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह मान लिया जाएगा कि उसने नये संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने का चयन कर लिया है और उसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना के अनुसार वेतन दिया जायेगा ।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा।

नोट-1 जिन लोगों की सेवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके बाद समाप्त कर दी गई है और जो स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण सेवामुक्त कर दिये जाने के कारण इस्तीफा, बर्खास्तगी अथवा अनुशासनहीनता के आधार पर सेवामुक्ति के कारणों से निर्धारित समय सीमा के अंदर चयन का विकल्प नहीं दे सके उन्हें भी उप नियम-1 के अन्तर्गत विकल्प चयन का अधिकार होगा ।

नोट-2 जो लोग दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या इसके बाद दिवंगत हो गए और इस कारण निर्धारित समय सीमा के अन्दर संशोधित वेतन ढांचे के लिये चयन का विकल्प नहीं दे सके थे, उनकी स्थिति में भी यह मान लिया जायेगा कि उन्होंने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से या उसके बाद की किसी भी तारीख से जो उनके आश्रितों के लिये लाभप्रद लगे, उन्होंने नये वेतन संरचना का चयन कर लिया है तथा इस प्रकार किये वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय बकाया राशि के भुगतान के लिए तत्संबंधी कार्यालय प्रमुख द्वारा इस संबंध में उचित कार्यवाही की जायेगी ।

नोट-3 ऐसे व्यक्ति जो दिनांक 01-01-2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, या ऐसी अवधि जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर हैं, इस नियम के लाभ प्राप्त कर सकेगें ।

7. संशोधित वेतन संरचना में प्रारंभिक वेतन का निर्धारण –

(1) किसी शासकीय सेवक जिसने दिनांक 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के लिए नियम 6 के तहत विकल्प चुन लिया है या उसके द्वारा इस प्रकार का विकल्प चुनना मान लिया गया है, के स्थाई पद-जिस पर वह धारणाधिकार रखता है या निलंबित होने की स्थिति मे यह अधिकार रखता होता, में वास्तविक वेतन के संबंध में जब तक कि राज्यपाल के विशेष नियम या निर्देश ना हों, उसका आरम्भिक वेतन अलग से निर्धारित किया जायेगा और उसके धारित पद में उसके वेतन निर्धारण के संबंध में निम्नलिखित तरीका अपनाया जायेगा ; अर्थात्

(i) वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा, जो 2.57 के गुणांक से विद्यमान मूल वेतन (नियम 3(iii)(i) अनुसार) को गुणा करके निकटतम रूपये तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि, वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में तलाशी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुरूप कोई समरूप राशि है, तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उसके ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा ।

उदाहरण :-

1. विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-1	वेतन बैंड	5200-20200				
2. विद्यमान ग्रेड वेतन : 2400	ग्रेड वेतन	1800	1900	2100	**2400**	**2800**
3. वेतन बैंड में विद्यमान वेतन : 10160	लेवल	3	4	5	6	7
	1	18000	19500	22100	**25300**	**28700**
4. विद्यमान मूल वेतन : 12560 (10160+2400)	2	18500	20100	22800	**26100**	**29600**
	3	19100	20700	23500	**26900**	**30500**
	4	19700	21300	24200	**27700**	**31400**
5. 2.57 के फिटमेंट गुणांक से गुणा करने के पश्चात् वेतन : 12600 X 2.57 = 32279.20 (32279 में पूर्णांकित)	5	20300	21900	24900	**28500**	**32300**
	6	20900	22600	25600	**29400**	**33300**
	7	21500	23300	26400	**30300**	**34300**
6. ग्रेड वेतन 2400 का तदनुरूपी लेवल : लेवल 6	8	22100	24000	27200	**31200**	**35300**
	9	22800	24700	28000	**32100**	**36400**
7. वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 6 में या तो 32279 के बराबर या उससे अगली उच्चतर राशि) : 33100.	10	23500	25400	28800	**33100**	**37500**
	11	24200	26200	29700	**34100**	**38600**

(ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन का प्रथम कोष्ठिका की राशि उपर्युक्त उप खंड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उक्त प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा;

(2) निलंबित शासकीय सेवक मौजूदा वेतनमान के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पर अंतिम निर्णय लिये जाने के अध्याधीन, निलबंन से बहाली की दिनांक को नियत किया जा सकेगा।

(3) जब कोई शासकीय सेवक किसी स्थाई पद पर हो तथा नियमित आधार पर किसी उच्च पद पर स्थानापन्न रूप में कार्यरत हो तथा दोनो पदों पर लागू वेतनमानों का एक में विलय कर दिया गया हो ऐसे में वेतन का निर्धारण इस उपनियम के अधीन स्थानापन्न पद के संदर्भ में किया जायेगा तथा इस प्रकार से निर्धारित किया गया वेतन ही स्थाई वेतन माना जायेगा ।

(4) यदि किसी शासकीय सेवक की मौजूदा परिलब्धियाँ "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हो जाती हैं तो उस अन्तर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी वृद्धियों में इसे समाहित किया जायेगा ।

(5) यदि कोई कर्मचारी मौजूदा वेतनमान में दिनांक 01 जनवरी, 2016 के तुरंत पहले समान केडर के किसी कनिष्ठ सेवक की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन एक ऐसी अवस्था पर निर्धारित हो जाता है जो कि उसके कनिष्ठ से कम हो तब ऐसी स्थिति में उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी अवस्था तक बढ़ा दिया जाएगा जिस अवस्था पर वह कनिष्ठ शासकीय सेवक हो ।

(6) जहां कोई शासकीय सेवक दिनांक 01 जनवरी 2016 को व्यक्तिगत वेतन प्राप्त कर रहा हो और जो उसकी मौजूदा परिलब्धियों से जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाती है; तो उस अन्तर को उस शासकीय सेवक को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जावेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित कर लिया जायेगा ।

(7) ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ शासकीय सेवक की दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पहले लागू वेतन बैंड में किसी उच्चतर पद पर पदोन्नति हो जाती है तथा वह उस कनिष्ठ शासकीय सेवक से संशोधित वेतन संरचना में कम वेतन प्राप्त कर रहा है जो कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद उच्च पद पर पदोन्नत किया गया हैं, तब ऐसी स्थिति में वरिष्ठ शासकीय सेवक का वेतन उसके कनिष्ठ शासकीय सेवक को उच्च पद पर दिये जा रहे वेतन संरचना में वेतन के बराबर कर दिया जाये । यह वृद्धि कनिष्ठ शासकीय सेवक की पदोन्नति की तिथि से की जायेगी तथा वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगी, अर्थात् :-

(क) कनिष्ठ तथा वरिष्ठ शासकीय सेवकों का एक ही केडर का होना चाहिये तथा जिस पद पर वे पदोन्नत हुये हैं वह केडर में समान पद होने चाहिये ।

(ख) निम्नतर तथा उच्चतर पदों के पूर्व-संशोधित वेतन संरचना जिनमें वे वेतन पाने के हकदार है, समान होने चाहिये ।

(ग) वरिष्ठ शासकीय सेवक पदोन्नति के समय कनिष्ठ शासकीय सेवक के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहे हों ।

(घ) विसंगति सीधे तौर पर मूलभूत नियम 22 के प्रावधानों के उपयोग के कारण अथवा किसी संशोधित वेतन संरचना में इस प्रकार की पदोन्नति में वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले अन्य किसी नियम या आदेशों के कारण होनी चाहिये । यदि कनिष्ठ पद पर कोई भी कनिष्ठ शासकीय सेवक संशोधन पूर्व वेतनमान के अनुसार वरिष्ठ

शासकीय सेवक की तुलना में अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने के कारण अधिक वेतन प्राप्त करता रहा है तो इस उपनियम के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।

(ii) नियम 5 के प्रावधानों के अधीन उपनियम (1) के तहत यदि स्थानापन्न पद पर नियत किया गया वेतन स्थायी पद में नियत किये गये वेतन से कम है तो वेतन स्थायी वेतन के अगले चरण से ऊपर नियत किया जायेगा ।

8. दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त शासकीय सेवकों के वेतन का निर्धारण दिनांक 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने वाले शासकीय सेवकों का वेतन उस पद पर जिस पर शासकीय सेवक नियुक्त किये जाते हैं, के लिये प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन पर या प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जायेगा ।

बशर्ते कि दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् और इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से पहले नियुक्त ऐसे कर्मचारी का विद्यमान वेतन मौजुदा वेतन संरचना में पहले ही निर्धारित कर दिया गया है और यदि उसकी विद्यमान परिलब्धियां उस पद जिस पर उसे दिनांक 01 जनवरी, 2016 को या उसके पश्चात् नियुक्त किया गया है, के लिये प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम वेतन अथवा पहली कोष्ठिका से अधिक हो जाती है तो ऐसे अंतर का भुगतान उसे व्यक्तिगत वेतन के रूप में किया जायेगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोतरियों में उसे समाहित कर लिया जोयगा ।

9. वेतन मैट्रिक्स में वेतन वृद्धि- वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत् कोष्ठिकाओं में यथा विनिर्दिष्ट रूप में दी जावेगी ।

उदाहरण :-

लेवल 6 में 33100 रूपये मूल वेतन प्राप्त कर रहा शासकीय सेवक उसी लेवल में लंबवत् नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात् उसका मूल वेतन 34100 हो जाएगा ।

वेतन बैंड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2100	**2400**	**2800**
लेवल	3	4	5	**6**	**7**
1	18000	19500	22100	**25300**	**28700**
2	18500	20100	22800	**26100**	**29600**
3	19100	20700	23500	**26900**	**30500**
4	19700	21300	24200	**27700**	**31400**
5	20300	21900	24900	**28500**	**32300**
6	20900	22600	25600	**29400**	**33300**
7	21500	23300	26400	**30300**	**34300**
8	22100	24000	27200	**31200**	**35300**
9	22800	24700	28000	**32100**	**36400**
10	23500	25400	28800	**33100**	**37500**
11	24200	26200	29700	**34100**	**38600**

10. संशोधित वेतन संरचना में अगली वेतनवृद्धि की तारीख-

(1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई :

बशर्ते कि कोई शासकीय सेवक अपनी नियुक्ति, पदोन्नति या वित्तीय उन्नयन प्रदान किए जाने की तारीख के अनुरूप या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) ऐसा शासकीय सेवक जिसे 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे कर्मचारी जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच (दोनों दिवसों सहित) की अवधि में नियुक्ति या पदोन्नति या समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन सहित वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी ।

परन्तु यदि पदोन्नति, नियुक्ति या उन्नयन की तारीख यदि 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई हो तथा इस तिथि को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण उसके अन्तर्गत कार्य दिवस को कार्य भार करता है तो ऐसे प्रकरणों में यह मानते हुये कि उसने उस माह की पहली तारीख को कार्यभार ग्रहण किया आगामी वेतन वृद्धि विनिश्चित की जायेगी ।

परन्तु यदि 01 जनवरी या 01 जुलाई को पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किये जाने की स्थिति में आगामी वेतन वृद्धि की तिथि वेतन निर्धारण की तिथि के एक वर्ष पश्चात अर्थात् आगामी वर्ष के 01 जनवरी अथवा 01 जुलाई जैसी भी स्थिति हो नियत की जायेगी ।

उदाहरण :

क. ऐसे शासकीय सेवक जिसे 02 जुलाई, 2016 और 01 जनवरी, 2017 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अधीन उन्नयन दिया है, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

ख. ऐसे शासकीय सेवक जिसे 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या सामान्य पदक्रम में पदोन्नति अथवा समयमान वेतनमान योजना के अन्तर्गत उन्नयन दिया गया हो, के मामले में अगली वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी :

बशर्ते कि ऐसे शासकीय सेवकों के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, में अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी ।

बशर्ते यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी ।

11. 01 जनवरी, 2016 के बाद संशोधित वेतन संरचनो में वेतन का निर्धारण-जहाँ कोई शासकीय सेवक मौजूदा वेतनमान में अपना वेतन लेना ज़ारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के बाद की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में बाद की तारीख से उसका वेतन निर्धारण कंडिका 7 के अनुसार किया जायेगा ।

12. <u>दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व धारित किसी पद पर उक्त तिथि के पश्चात् पुन:नियुक्ति होने पर वेतन निर्धारण</u> - कोई शासकीय सेवक जो दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पूर्व किसी पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, किन्तु दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण नहीं करता था और उस पद पर पश्चात्वर्ती नियुक्ति पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन आहरित करता है, उसे मूलभूत नियम 22 के परन्तुक का लाभ उसी सीमा तक अनुज्ञात किया जोयगा जहां तक कि वह उसे उस दशा में अनुज्ञेय होता जबकि वह दिनांक 01 जनवरी, 2016 को उस पद को धारण किया होता और उस तारीख को पुनरीक्षित वेतन संरचना का चयन करता ।

13. 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् पदोन्नति/समयमान पर वेतन का निर्धारण - संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में पदोन्नति/समयमान के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा :

(i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से शासकीय सेवक पदोन्नत/समयमान किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें पदोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें पदोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा ।

उदाहरण :-

1. संशोधित वेतन संरचना में लेवल: लेवल 6

2. संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 28500

3. पदोन्नति/समयमान वेतनमान के अधीन वित्तीय उन्नयन दिया गया लेवल 7 में

4. लेवल 6 में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 29400

5. उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 7 में वेतन : 29600 (लेवल 7 में 29400 के बराबर या उससे उच्चतर राशि)

वेतन बैंड	5200-20200				
ग्रेड वेतन	1800	1900	2100	**2400**	**2800**
लेवल	3	4	5	**6**	**7**
1	18000	19500	22100	**25300**	**28700**
2	18500	20100	22800	**26100**	**29600**
3	19100	20700	23500	**26900**	**30500**
4	19700	21300	24200	**27700**	**31400**
5	20300	21900	24900	**28500**	**32300**
6	20900	22600	25600	**29400**	**33300**
7	21500	23300	26400	**30300**	**34300**

14. वेतन-बकायों के भुगतान की विधि -इन नियमों के अधीन वेतन नियतन के परिणामस्वरूप दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 30 जून, 2017 तक की बकाया राशि के संबंध में निर्देश पृथक से जारी किये जायेगें ।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन हेतु किसी शासकीय सेवक के संबंध में, "बकाया वेतन" से अभिप्रेत है निम्न का अन्तर :-

(एक) इन नियमों के अन्तर्गत वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि हेतु वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिसकी उसे पात्रता है; तथा

(दो) उस अवधि में वेतन एवं मंहगाई भत्ते को जोड़, जिनकी उसे पात्रता होती (चाहे ऐसे वेतन एवं मंहगाई भत्तों का भुगतान प्राप्त किया गया हो अथवा नहीं) यदि उसके वेतन तथा भत्ते का इस प्रकार पुनरीक्षण नहीं किया गया होता ।

15. नियमों का अध्यारोही प्रभाव- उन मामलों में जहाँ वेतन इन नियमों द्वारा विनियमित होता है, वहां मूल नियम तथा किन्ही अन्य नियमों के उपबन्ध उस सीमा तक लागू नहीं होंगे जहाँ तक कि वे इन नियमों से असंगत हो ।

16. शिथिल करने की शक्ति- राज्य सरकार, शासकीय सेवकों के या शासकीय सेवकों के प्रवर्ग के मामलें में इन नियमों के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध का प्रवर्तन ऐसी रीति में और ऐसी सीमा तक शिथिल या निलंबित कर सकेगी जैसा कि उसे लोकहित मे न्यायसंगत और साम्यापूर्ण या आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण या निलंबन जो यथास्थिति किसी शासकीय सेवक या शासकीय सेवकों के किसी प्रवर्ग के लिए अलाभप्रद हो, प्रवर्तित नहीं किया जाएगा ।

17. निर्वचन-यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो तो वह राज्य सरकार के वित्त विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका उस पर विनिश्चिय अंतिम होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिरुद्ध मुकर्जी, प्रमुख सचिव.

दूसरी अनुसूची

विकल्प का प्ररूप
(नियम 6 देखें)

*(i)मैं----------दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ ।

अथवा

*(ii)मैं----------अपने मूल/स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में निम्नानुसार आगे भी बने रहने के विकल्प का चयन करता/करती हूँ जब तक कि:-

*मेरी अगली वेतन वृद्धि की दिनांक, या

*मेरी बाद की वेतनवृद्धि की दिनांक जिससे मेरे वेतन ----- रूपये हो जाए, या

*मैं, मोजूदा वेतन बेण्ड में वेतन लेना बंद कर दूं/छोड़ दूं, या

*----------के पद पर मेरा पदोन्नति/उन्नयन की तारीख तक बने रहने तक।

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन ----------

दिनांक----------
स्थान----------

हस्ताक्षर----------
नाम----------
पदनाम----------
कार्यरत कार्यालय का नाम----------

*यदि लागू न हो तो काट दिया जाए

कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने की दिनांक----------

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

As Per State Govt.

परिशिष्ट-I

Pay Band	4440-7440		5200-20200					9300-34800				15600-39100			37400-67000		
Grade Pay	1300	1400	1800	1900	2100	2400	2800	3200	3600	4200	4800	5400	6600	7600	8700	8900	10000
Entry Pay (EP)	6050	6260	7000	7580	8610	9840	11170	12500	13830	16290	18750	21000	25200	29920	46100	48590	52120
Level	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Index	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.57	2.62	2.62	2.62	2.62	2.67	2.67	2.67	2.67	2.67	2.72
1	15500	16100	18000	19500	22100	25300	28700	32800	36200	42700	49100	56100	67300	79900	123100	129700	141800
2	16000	16600	18500	20100	22800	26100	29600	33800	37300	44000	50600	57800	69300	82300	126800	133600	146100
3	16500	17100	19100	20700	23500	26900	30500	34800	38400	45300	52100	59500	71400	84800	130600	137600	150500
4	17000	17600	19700	21300	24200	27700	31400	35800	39600	46700	53700	61300	73500	87300	134500	141700	155000
5	17500	18100	20300	21900	24900	28500	32300	36900	40800	48100	55300	63100	75700	89900	138500	146000	159700
6	18000	18600	20900	22600	25600	29400	33300	38000	42000	49500	57000	65000	78000	92600	142700	150400	164500
7	18500	19200	21500	23300	26400	30300	34300	39100	43300	51000	58700	67000	80300	95400	147000	154900	169400
8	19100	19800	22100	24000	27200	31200	35300	40300	44600	52500	60500	69000	82700	98300	151400	159500	174500
9	19700	20400	22800	24700	28000	32100	36400	41500	45900	54100	62300	71100	85200	101200	155900	164300	179700
10	20300	21000	23500	25400	28800	33100	37500	42700	47300	55700	64200	73200	87800	104200	160600	169200	185100
11	20900	21600	24200	26200	29700	34100	38600	44000	48700	57400	66100	75400	90400	107300	165400	174300	190700
12	21500	22200	24900	27000	30600	35100	39800	45300	50200	59100	68100	77700	93100	110500	170400	179500	196400
13	22100	22900	25600	27800	31500	36200	41000	46700	51700	60900	70100	80000	95900	113800	175500	184900	202300
14	22800	23600	26400	28600	32400	37300	42200	48100	53300	62700	72200	82400	98800	117200	180800	190400	208400
15	23500	24300	27200	29500	33400	38400	43500	49500	54900	64600	74400	84900	101800	120700	186200	196100	214700
16	24200	25000	28000	30400	34400	39600	44800	51000	56500	66500	76600	87400	104900	124300	191800	202000	
17	24900	25800	28800	31300	35400	40800	46100	52500	58200	68500	78900	90000	108000	128000	197600	208100	
18	25600	26600	29700	32200	36500	42000	47500	54100	59900	70600	81300	92700	111200	131800	203500	214300	
19	26400	27400	30600	33200	37600	43300	48900	55700	61700	72700	83700	95500	114500	135800	209600		
20	27200	28200	31500	34200	38700	44600	50400	57400	63600	74900	86200	98400	117900	139900	215900		
21	28000	29000	32400	35200	39900	45900	51900	59100	65500	77100	88800	101400	121400	144100			
22	28800	29900	33400	36300	41100	47300	53500	60900	67500	79400	91500	104400	125000	148400			
23	29700	30800	34400	37400	42300	48700	55100	62700	69500	81800	94200	107500	128800	152900			
24	30600	31700	35400	38500	43600	50200	56800	64600	71600	84300	97000	110700	132700	157500			
25	31500	32700	36500	39700	44900	51700	58500	66500	73700	86800	99900	114000	136700	162200			
26	32400	33700	37600	40900	46200	53300	60300	68500	75900	89400	102900	117400	140800	167100			
27	33400	34700	38700	42100	47600	54900	62100	70600	78200	92100	106000	120900	145000	172100			
28	34400	35700	39900	43400	49000	56500	64000	72700	80500	94900	109200	124500	149400	177300			
29	35400	36800	41100	44700	50500	58200	65900	74900	82900	97700	112500	128200	153900	182600			
30	36500	37900	42300	46000	52000	59900	67900	77100	85400	100600	115900	132000	158500	188100			
31	37600	39000	43600	47400	53600	61700	69900	79400	88000	103600	119400	136000	163300	193700			
32	38700	40200	44900	48800	55200	63600	72000	81800	90600	106700	123000	140100	168200	199500			
33	39900	41400	46200	50300	56900	65500	74200	84300	93300	109900	126700	144300	173200	205500			
34	41100	42600	47600	51800	58600	67500	76400	86800	96100	113200	130500	148600	178400	211700			
35	42300	43900	49000	53400	60400	69500	78700	89400	99000	116600	134400	153100	183800				
36	43600	45200	50500	55000	62200	71600	81100	92100	102000	120100	138400	157700	189300				
37	44900	46600	52000	56700	64100	73700	83500	94900	105100	123700	142600	162400	195000				
38	46200	48000	53600	58400	66000	75900	86000	97700	108300	127400	146900	167300	200900				
39	47600	49400	55200	60200	68000	78200	88600	100600	111500	131200	151300	172300	206900				
40	49000	50900	56900	62000	70000	80500	91300	103600	114800	135100	155800	177500					

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.